

IV 24/A



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AE 221722



न्यास विलेख
श्री जगदीश सेवा न्यास

यह न्यास विलेख पत्र डॉ० बालमुकुन्द पाण्डेय, आयु 52 वर्ष, सुपुत्र स्व० श्री जगदीश पाण्डेय, वार्ड नं०-8, इन्दिरा नगर, सेवरही, कुशीनगर, उ०प्र० के द्वारा बनाया गया है। अ.नं० 88260 97876 अ.नं० 6475.0710,404

न्यासकर्ता गत 30 से अधिक वर्षों से सामाजिक कार्य में पूर्ण समय देकर कार्यरत होने के कारण, तथा समाज के समस्याओं से परिचित हैं। राष्ट्रीय तथा सामाजिक समस्या, शिक्षा में गिरावट, संस्कृति का विस्मरण, सेवा की कमी तथा स्वावलम्बन का अभाव है। इसमें आवश्यक परिवर्तनों द्वारा भारत में शिक्षा,

21/11/19

लाइसेंस नम्बर 42

दिनांक प्रेषण संख्या: 201909258008261

नाम कंसा

नाम स्थापन विक्रेता राजकुमार बापसवाल

पहली कम्पाउण्ड क्रमांक

बन्दरगाह कुशीनगर (उ०प्र०)

जन्म ४४ - ५००५
श्री ५००५
श्री ५००५
पाण्डेय सार्वभौम प्रो. सेवरी (इंजीनियरिंग)

रजिस्ट्रेशन सं०: 24

दिनांक 11/09/2019

प्रतिफल - 5000 स्थापन शुल्क - 1000 कच्ची मूल्य - 0 पंजीकरण शुल्क - 500 प्रतिनिधिकरण शुल्क - 100 योग - 6000

श्री ५००५ बापसवाल पाण्डेय
पुत्र श्री सार्वभौम पाण्डेय
व्यवसाय: कृषि
निवासी: प्लॉट नं० 8 इन्डियन नगर सेक्टर 11 पंचसरोवर विला कुशीनगर अ० 6475 0710
4043

3/8/2019



ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 11/09/2019 एवं 05:01:29 PM बजे निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रेशन अधिकारी के हस्ताक्षर

(Signature)
मनोज कुमार गोतम प्रभारी
उप निबंधक तमकुही राज
कुशीनगर
11/09/2019

मुनीराज प्रसाद
निबंधक लिपिक





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

FA 472901

(2)

संस्कृति, सेवा तथा स्वावलम्बन को भारतीय परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत कर समस्याओं का समाधान ढूँढने का निर्णय किया है तथा न्यास विलेख पत्र लेखक इस कार्य में विचार रखते हैं और इस कार्य के मूलधन स्वरूप रू0 5000/- (रू0 पाँच हजार मात्र) इस न्यास के मूलधन के रूप में रखना चाहते हैं तथा शिक्षा, संस्कृति, सेवा तथा स्वावलम्बन के क्षेत्र में अधिक से अधिक लोग भारतीय दृष्टि से उक्त विषयों का अध्ययन, शोध, प्रसार और सामाजिक बोध जिससे भारतीय समाज में स्वाभिमान, जागृत करें। ऐसा विश्वास न्यास विलेख में रखते हैं। इस हेतु न्यास विलेखकर्ता इस न्यास (समिति) का गठन कर घोषणा करते हैं एवं जिसका स्वरूप एवं नियमावली निम्न प्रकार से होगी:-

1. न्यास का नाम - यह कि हम मुक्ति के द्वारा स्थापित ट्रस्ट का नाम "श्री जगदीश सेवा न्यास" होगा जिसे न्यास पत्र में आगे न्यास / ट्रस्ट शब्द से सम्बोधित किया गया है।
2. न्यास का पता - यह कि मुक्ति द्वारा स्थापित, उक्त ट्रस्ट का शाखा कार्यालय वार्ड नं0-8, इन्दिरा नगर, सेवरही, कुशीनगर, उ0प्र0 में स्थापित होगा। उक्त ट्रस्ट के कार्य को सुचारु रूप से सम्पादित करने तथा इसके उद्देश्यों की सुगम प्राप्ति के बावत उसके अन्य कार्यालयों की भी स्थापना की जायेगी।

Omjas



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

FA 472902

(3)

3. संस्था का उद्देश्य:- संस्था का मुख्य उद्देश्य हमारे राष्ट्र जीवन के अस्तित्व के प्रारम्भ से अद्यावत भारत के सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, आर्थिक और राजनैतिक आदि राष्ट्र जीवन के समस्त पक्षों का आधार सम्पूर्ण शिक्षा, संस्कृति, सेवा तथा स्वावलम्बन होगा। यह कार्य सत्य, निष्पक्ष तथ्यों और आंकड़ों पर आधारित होगा। यह भी प्रयत्न किया जायेगा कि सम्पूर्ण उद्देश्य भारतीय सिद्धान्त के अनुसार हो। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए न्यास अपनी क्षमता और साधनों के अनुसार निम्नलिखित मार्गदर्शक बिन्दुओं के अनुसार कार्य करेगी:-

- (क) शिक्षा, संस्कृति, सेवा तथा स्वावलम्बन के प्रति प्रत्येक भारतीय एवं जनमानस को विविध दिशाओं से संबंधित प्रकाशित और अप्रकाशित सामग्री एवं सांस्कृतिक पक्ष को देश के प्रत्येक ग्राम व जिला स्तर तक प्रसारित करना।
- (ख) भारतीय दृष्टिकोण से दिशा निर्धारण एवं उचित सामग्री की व्यवस्था करना।
- (ग) शिक्षा, संस्कृति, सेवा तथा स्वावलम्बन आदि की विविध शाखाओं में रूचि रखने वाले, सूचनाएँ एकत्र व प्रकाशित करने वाले व्यक्तियों, संस्थाओं व संगठनों से सम्पर्क एवं सम्बन्ध स्थापित करना तथा उनका सहयोग लेना।

10/10/19



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

FA 472903

(4)

- (घ) प्राचीन संस्कृति व पूर्वजों की विशिष्ट उपलब्धियों के प्रति जनसामान्य में ज्ञान, आदर और अनुराग तथा उनके हृदय में स्वाभिमान जागृत करने के लिए व्याख्यान माला का आयोजन करना।
- (ङ.) शिक्षा, संस्कृति, सेवा तथा स्वावलम्बन की विविध शाखाओं में अत्यन्त उच्चकोटि के अनुसंधान या समाज सेवा के क्षेत्र में अप्रतिम योगदान करने वाले व्यक्तियों, संगठनों को सम्मानित व प्रोत्साहित करना।
- (च) शिक्षा, संस्कृति, सेवा तथा स्वावलम्बन संस्थान/संस्थानों, वाचनालयों, पुस्तकालयों, साहित्य सदनों, छात्रावासों आदि की स्थापना करना।
- (छ) जन प्रशिक्षण के लिए ऐतिहासिक, सामाजिक त्रंगमंचों, प्रदर्शनियों एवं किसी विशिष्ट या सामान्य विषय पर संगोष्ठियों, परिसंवादों व व्याख्यान मालाओं आदि का आयोजन करना।
- (ज) समाज को प्रोत्साहित करने के लिए प्रशिक्षण केन्द्रों, सेवा केन्द्रों और पुस्तकालयों की स्थापना और संचालन करना और करवाना।
- (झ) ऐतिहासिक सामग्री जुटाने हेतु आवश्यक सभी प्रकार के साधनों की व्यवस्था करना।
- (त्र) ऊपर लिखे उद्देश्य की प्राप्ति के लिए विश्वविद्यालय, जिला, तहसील, मण्डल और प्रचण्ड स्तरीय इकाइयों का गठन करना।

01/12/19





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

FA 472904

- (5)
- (प) समान ध्येय और उद्देश्यों वाले अन्य संगठनों और संस्थाओं को अपने साथ सम्बद्ध/संलग्न करना।
- (फ) संस्था के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए पत्र-पत्रिकाओं तथा अन्य आधुनिक दृश्य-श्राव्य माध्यमों द्वारा निर्माण एवं प्रस्तुति करना व इस प्रकार की सामग्री के प्रकाशन एवं वितरण की व्यवस्था करना।
- (ब) शिक्षा, संस्कृति, सेवा तथा स्वावलम्बन के क्षेत्र में कार्यरत कार्यकर्ताओं को आर्थिक सहयोग और छात्रवृत्तियाँ प्रदान करना।
- (भ) न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु यथावश्यक चल और अचल सम्पत्ति दान में, पट्टे पर, खरीद कर अथवा किराए पर प्राप्त करना।
- (म) ऐसे अन्य सभी कार्य करना जो ऊपर लिखे उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक हो।
- (त) संस्था की चल और अचल सम्पत्ति और आय संस्था के लिए ही उपयोग की जाएगी।
4. न्यास की सम्पत्ति:-
- (क) न्यास के संस्थापक द्वारा संस्था प्रारम्भ करते समय न्यास परिचालन हेतु रखी गयी उपरोक्त राशि ₹ 5,000/- (₹ 5,000 पाँच हजार मात्र)।
- (ख) संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु विभिन्न देशी/विदेशी/गैर सरकारी/सरकारी संस्थाओं, संगठनों, व्यवसायिक उपक्रमों एवं दानदाताओं द्वारा प्रदत्त दानराशि एवं चल-अचल सम्पत्ति।

प्राप्त



5. न्यास का प्रबन्धन:-

न्यास के कार्यकारिणी के सदस्य न्यास के सभी कार्यों जैसे नियंत्रण प्रबन्धन एवं प्रशासनिक कार्य के प्रभारी रहेंगे साथ ही अन्य आकस्मिक लाभप्रद रहेंगे जैसे सुचारु रूप से कार्य संचालन एवं आवश्यक नियम एवं कर्तव्य का निर्वहन, नवीन निर्णयों एवं प्रस्तावों का अधिग्रहण से सभी कार्य न्यास कार्यकारिणी के अधीन रहेंगे।

6. संस्थापक न्यासी द्वारा प्रथम न्यास, कार्यकारिणी का गठन एवं उत्तरदायित्व विवरण निम्न प्रकार से रहेगा।

प्रबन्ध न्यासी समिति के सदस्य:-

1. डा० बालमुकुन्द पाण्डेय पुत्र स्व० श्री जगदीश पाण्डेय निवासी वार्ड नं० 8, इन्दिरा नगर, सेवरही, कुशीनगर प्रबन्धक न्यासी
2. डा० सच्चिदानन्द चौबे पुत्र श्री भृगुनाथ चौबे, निवासी मालवीय नगर, सेवरही, कुशीनगर : न्यासी
3. गंगेश्वर कुमार पाण्डेय पुत्र श्री गोविन्द पाण्डेय, निवासी गंगानगर, रामजानकी नगर बशरतपुर, गोरखपुर : न्यासी
4. नीतीश कुमार पुत्र मदन मोहन, वार्ड नं० 8 इन्दिरा नगर, सेवरही, कुशीनगर न्यासी
5. प्रतिष्ठा वर्मा पुत्री स्व० बैजनाथ वर्मा, गोला बाजार रुद्रपुर देवरिया, न्यासी
6. रामलाल हरिजन पुत्र स्व० जगदेव राम, ग्राम व पो ठकरहां, जिला पश्चिमी चम्पारण (बिहार) न्यासी
7. उर्मिला मिश्रा धनी डा० सौरभ मिश्रा, 423 आर्यनगर गोरखपुर न्यासी

1. संस्थापक न्यासी अथवा उसकी अनुपस्थिति में संस्थापक द्वारा नियुक्त न्यासियों के अतिरिक्त बाद में कार्यकारिणी द्वारा नियुक्त न्यासियों द्वारा न्यास का कार्य नियमानुसार क्रियान्वयन किया जायेगा एवं अधिकतम न्यासियों की संख्या 11 तक सीमित रहेगी। प्रथम गठित न्यास की कार्यावधि घोषित दिनोंक से लेकर पाँच वर्ष तक रहेगी।
2. न्यासियों की नियुक्ति प्रत्येक तीन वर्ष में निम्न नियमों के अनुसार की जायेगी।

(क) अधिकतम एक समय में कुल एक तिहाई न्यासियों का कार्यकाल बारी-बारी से समाप्त किया जा सकता है। कार्यकाल समाप्त का निर्णय निम्न प्रकार से होगा:-

अ- न्यासी की स्वयं की इच्छा से।

आ- अधिकतम आयु के परिष्ठ न्यासी कार्यमुक्त होंगे।

(ख) शेष न्यासी उपरोक्त न्यासियों की कार्यमुक्ति के पश्चात अपने कार्यकाल तक कार्य करते रहेंगे।

(ग) शेष न्यासी नये न्यासियों की नियुक्तियों नियमानुसार रिक्त स्थानों में करेंगे।

(घ) कार्यमुक्त भूतपूर्व न्यासी नये न्यासियों के रूप में नियमानुसार नियुक्त किये जा सकते हैं।

सत्याय

(ड.) यदि किसी कारणवश कोई पद रिक्त हुआ है तो उस पद पर नयी नियुक्ति की जायेगी और वह न्यासी उस पद के शेष कार्यकाल की अवधि तक कार्य करेगा।

7. न्यासियों के अधिकार एवं कर्तव्य:-

न्यास के उपरोक्त लिखित उद्देश्य की पूर्ति हेतु एवं न्यास की सम्पत्ति के संचालन में बिना किसी पूर्वाग्रह के सभी कानूनों के अधीन न्यासियों के निम्नलिखित अधिकार रहेंगे।

- (क) सभी प्रकार के दान एवं सहायता राशि प्राप्त करना जो कि न्यास की उद्देश्यों की पूर्ति में सहयोगी हो साथ प्राप्त राशि का संचालन कैपिटल फण्ड एवं कॉरपस फण्ड के रूप में किया जा सकता है।
- (ख) देशी एवं विदेशी, सरकारी व गैर सरकारी, संस्थाओं, केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों एवं अन्य स्थानीय निकायों से उपरोक्त लिखित न्यास के अनेकों प्रकार के कार्य कलापों, प्रकल्पों एवं कार्यक्रमों हेतु सहायता राशि एवं अन्यान्य आवश्यक सम्पत्ति दान के रूप में प्राप्त करना।
- (ग) सम्पत्ति का वितरण, नियमन, निकासी और समायोजन विभिन्न व्यावसायिक आयामों के जो कि "क" में लिखित है, न्यास की उद्देश्य पूर्ति के लिये करता।
- (घ) कार्य को सुचारु रूप से चलाने के लिए स्थगन, मिलान, समझौता करना, जमा करना अथवा अन्य निर्णय लेना जो कि न्यास के किसी प्रक्रिया में, किसी दावे में, किसी निर्णय के लागू करने जो कि सर्वसम्मति से न्यास के लिए किया जाएगा।
- (छ) न्यास की ओर से विभिन्न संस्थाओं, निकायों एवं न्यायपालिका के साथ विभिन्न गतिविधियों के दौरान एवं अन्यान्य एवं अस्थानीय स्थानों पर न्यास का प्रतिनिधित्व करना।
- (ज) सभी प्रकार के आवश्यक दस्तावेजों जैसे प्रस्ताव, अपील, न्यायपालिका कार्यवाही एवं अन्य आवेदन कानूनी अथवा अन्य व्यावसायिक प्रपत्रों पर न्यास की ओर से हस्ताक्षर करना, जो कि विधिवत गतिविधियों के लिए आवश्यक है।
- (झ) न्यास की गतिविधि हेतु धनराशि उधार लेना अथवा दान द्वारा विधिवत प्राप्त करना व न्यास की सम्पत्ति को धरोहर रूप में रखकर प्राप्त करना।
- (ट) न्यास संचालन हेतु बैंक में न्यास के नाम से सांझा खातों को खोलना एवं परिचालित करना जो कि कम से कम दो कार्यकारिणी न्यासियों के हस्ताक्षर द्वारा चालित हो। इनके हस्ताक्षर से युक्त चेक आदि को डेबिट आदि करने

का अधिकार हो। साथ ही कार्यकारिणी के न्यासी किसी अन्य व्यक्ति अथवा कर्मचारी अथवा न्यास कार्य में सहयोगी जो कि न्यास का सदस्य नहीं है, को भी यदि आवश्यक हो तो विधिवत सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर न्यास के खातों का परिचालन करने के लिए नियुक्त कर सकते हैं।

- (ठ) न्यास के सम्बन्धित सभी खर्च, भुगतान, न्यास सम्पत्ति, मानदेय, वेतन, मजदूरी, किराया, परिसर रख-रखाव, मरम्मत एवं अन्य प्रकार के खर्च जो कि न्यास के प्रशासकीय, प्रबन्धन के कार्य एवं अन्य क्रिया-कलापों में हों, का भुगतान करना।
- (ड.) आवेदित संस्था को न्यास की सहयोगी संस्था के रूप में विधिवत् मान्यता प्रदान अथवा रद्द करना। इस अधिनियम के अधीन आवेदित संस्था को सहयोग करना, मार्गदर्शन एवं सहायता देना। इस प्रकार की संस्थाएँ औपचारिक रूप से विधिवत आवेदन कर सकती हैं एवं सहयोगी संस्था के दर्जे का अधिकार प्रदान कर सकती है जिसको तीन वर्ष में नवीनीकरण कराना न्यास द्वारा निर्णित संस्था के लिए आवश्यक है। इस हेतु कार्य समिति का निर्णय अथवा निर्णय में यदि आवश्यक है तो परिवर्तन का अधिकार न्यास के पास सर्वाधिकार से विधिवत सुरक्षित रहेगा।
- (ढ) न्यास द्वारा न्यासी सदस्यों एवं अन्य व्यक्तियों में से समिति एवं उपसमिति का गठन एवं उप समिति को विभिन्न कार्य सौंपना एवं इन समिति की कार्य की समीक्षा, कार्यविधि का निर्धारण एवं नियमन हेतु विभिन्न नियमों की विधिसम्मत संरचना करना।
- (ण) सभी राज्यों के प्रतिनिधियों की समिति का गठन करना जो कि सभी राज्यों की समितियों एवं उपसमितियों साथ ही न्यास द्वारा मान्यता प्राप्त सेवा संस्थानों, उनका वार्षिक वृत्त कार्यसमिति के समक्ष रखना एवं उपस्थित कठिनाइयों एवं कार्य हेतु विभिन्न परिस्थितियों की सूचना देना।
- (त) न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति होने में सीधे सहायक अथवा सहयोगी हो सकते हैं। ऐसे अन्य आवश्यक कार्य जिनको कार्यकारिणी करने में सक्षम है, वे कार्य विधिवत रूप से पूर्व योजना एवं गणना करते हुए किए जायेंगे।
- (थ) सभी प्रकारों के न्यास कार्यालय संचालन करते समय आई हुई समस्याओं एवं इनको व्यक्त करने की त्रुटि का निर्णय, अन्य न्यास के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त संस्थाओं की कार्यप्रणाली की समस्याओं को व्यक्त करने की त्रुटि आदि मामलों के बारे में कार्यसमिति द्वारा उपरोक्त किए गये निर्णय मान्य होंगे एवं लागू होंगे।

10/11/2017



(9)

- (द) न्यास कार्यसमिति अथवा कार्यकारिणी न्यास के कार्य कलाप न्यास की नियत कार्यविधि के अनुसार करेगी। इन से सम्बन्धित सभी अधिकार कार्यसमिति इन कार्यों के पक्ष में किसी भी व्यक्ति को विधिवत रूप से हस्तान्तरित कर सकती है।
- (न) यहाँ पर व्यक्त सभी अधिकारों का पालन एवं वहन समयावधि एवं सभी नियमों एवं उपनियमों जो कि भारतीय आयकर अधिनियम 1961 (46, 1961 का) जो समय-समय पर परिवर्तित होता रहता है, के अन्तर्गत है, न्यास कड़ाई से करेगा।
- (प) न्यास अन्य कार्यों, वचन एवं अन्य मामलों, जो कि न्यास की गतिविधि और न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सहयोगी एवं आवश्यक व कार्यालय संचालन हेतु सभी आवश्यक कार्य करेगा।
- (ब) सचिव, न्यास के दैनन्दिनी कार्य की देखभाल के साथ सभी कार्यकारिणी एवं न्यासी सदस्यों के साथ समन्वय रखेंगे, जिसमें बैठकों का बुलाना भी शामिल रहेगा। कार्यसमिति की बैठकें सभी नियमों को पालन करते हुए एक नियत समय अवधि के अन्तराल पर रखी जायेंगी। इसकी सूचना एवं व्यवस्था की जिम्मेदारी सचिव की होगी। सचिव प्रत्येक बैठकों का संक्षिप्त वृत्त, लिखित रूप में रजिस्टर में दर्ज करेंगे।
- (भ) न्यासियों में से निर्वाचित कोषाध्यक्ष न्यास से संबंधित सभी वित्तीय विवरणों का लेखा-जोखा एवं इसका रख-रखाव सही तरीके से हो, इसकी व्यवस्था रखेंगे। यदि कोषाध्यक्ष पद रिक्त हो तो ये जिम्मेदारी न्यास के सचिव की रहेगी। सभी प्राप्तियाँ एवं भुगतान का लेखा एवं सम्बन्धित सभी पत्र एवं रसीदों की जानकारियों का विवरण इसमें रहेगा। न्यास का वार्षिक लेखा-जोखा का कार्य समिति द्वारा नियुक्त लेखापाल द्वारा आडिट कराकर प्रतिवर्ष नियमानुसार आयकर आयुक्त कार्यालय में जमा करेंगे।

8. न्यास की बैठकें:-

न्यास, न्यासियों की सम्मति एवं विधि की सीमा के अनुसार आवश्यक समय पर, अनेकों बार बैठकों का आयोजन कर सकता है जिसमें वर्ष में कम से कम एक बार बैठक आयोजित करना अनिवार्य है। बैठकों की अध्यक्षता न्यास के अध्यक्ष करेंगे एवं अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपस्थित वरिष्ठ सदस्य बैठक की अध्यक्षता का भार वहन करेंगे।

9. बैठकों का कार्य एवं आवश्यकता:- ✓

(क) कार्यसमिति द्वारा सभी न्यासियों का निर्णय एवं नियुक्तियाँ एक

07/11/2025



साधारण बहुमत से किया जाएगा।

- (ख) अध्यक्ष एवं कोषाध्यक्ष की सहमति से सचिव द्वारा बैठक की सूचना एवं आयोजन करना।
- (ग) बैठकों की वैधता एवं मान्यता के लिए एक तिहाई उपस्थिति होनी चाहिए।
- (घ) "9ग" की संख्या न होने की स्थिति में बैठक को स्थगित कर पुनः अन्य कार्यदिवस भर बुलाई जाए, यद्यपि पुनः एक तिहाई उपस्थिति न होने की परिस्थिति में बैठक स्थगित न कर, इस बैठक में पास प्रस्तावों को कार्यसमिति की पूर्ण सहमति से लागू किया जायेगा।
- (च) मुख्य कार्यालय में बैठकों के आयोजन में उपस्थित होने पर लगे यात्रा-व्यय नहीं दिया जाएगा परन्तु यदि बैठक इसके अतिरिक्त किसी अन्य स्थल पर आयोजित की जाती है, तो उस परिस्थिति में न्यूनतम भाड़ा एवं अन्य नियत भत्ता उपस्थित सदस्य को उनकी माँग पर दिया जाएगा। इस हेतु सदस्य को इसके पक्ष में किराया रसीदों सहित आवेदन देना होगा। इस पर कार्यसमिति का निर्णय अन्तिम होगा।
- (छ) सभी न्यासियों को चुनाव की परिस्थिति में एक ही मत का अधिकार होगा, निर्णय बराबर रहने पर अध्यक्ष अपने निर्णयायक, मत के अधिकार का उपयोग कर सकते हैं।
10. न्यास की बैठकों का वृत्त-
- (क) प्रमुख न्यासी कार्यकारिणी की बैठकों का वृत्त लिखित एवं रिकार्ड के रूप में रखेंगे।
- (ख) बैठकों के कार्यवृत्त में बैठक में हुए सभी आयाम सही अर्थ एवं संक्षिप्त रूप में समाहित होने चाहिए।
11. (क) न्यासी निम्न स्थिति में कार्यमुक्त हो सकता है।
- अ. न्यासी की मृत्यु होने पर।
- आ. न्यासी के त्याग पत्र देने पर।
- ई. न्यासी के मानसिक अस्वस्थता अथवा शारीरिक अक्षमता पर
- उ. कार्यकारिणी द्वारा न्यास के उद्देश्यों के अनुसार कार्य न करने पर कार्यकारिणी द्वारा प्रस्ताव द्वारा अभियोगित न्यासी को सफाई हेतु एक उचित समय सीमा देकर, सफाई पर्याप्त न पाई जाने पर।
- (ख) उपरोक्त रिक्त स्थान/स्थानों पर नियुक्तियाँ कार्यकारिणी के निर्णय अनुसार नियुक्तियों हेतु तय नियमों एवं मापदण्डों के आधार पर की

जायेंगी जो कि नियत क्रमांक पर उल्लेखित है।

- (ग) कार्यकारिणी किसी भी उचित प्रस्ताव को न्यासियों के समक्ष विचार हेतु प्रस्तुत कर सकती हैं एवं इस पर चर्चा एवं बहुमत की सहमति से प्रस्ताव स्वीकार किया जायेगा। यदि कोई प्रस्ताव किन्हीं विशेष कारणों अथवा आपातकाल की परिस्थिति में अल्पकाल के लिए कार्यसमिति द्वारा बिना चर्चा के लागू किया गया है तो तुरन्त आने वाली अगली बैठक में इस प्रस्ताव को पुनः समीक्षा एवं निर्णय के लिए रखा जाना आवश्यक है।
12. न्यास की नगद राशि एवं अन्य परिसम्पत्तियाँ न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु उपयोग में खर्च की जायेंगी एवं बचत राशि व अन्य सम्पत्तियों को कुछ समय के लिए सावधि जमा अथवा किन्हीं व्यावसायिक उपक्रमों में संस्थाओं हेतु नियत नियमानुसार एवं कार्यकारिणी की सहमति द्वारा कर सकते हैं जो कि आयकर अधिनियम 1961 एवं इसकी वर्तमान सीमा के अन्तर्गत होना चाहिए। न्यास द्वारा अधिग्रहित अथवा न्यास में निहित किसी भी प्रकार की परिसम्पत्ति का न्यासियों को किसी भी प्रकार के लाभ अथवा लाभांश अथवा ब्याज के रूप में नहीं दी जानी चाहिए एवं नहीं दी जा सकती है।
13. न्यास का कार्यकारिणी वर्ष प्रत्येक वित्तीय वर्ष ही होगा, यानि 1 अप्रैल से अगले वर्ष 31 मार्च तक।
14. प्रबन्ध न्यासी न्यास का मार्गदर्शन एवं इसके कार्य-कलापों का दिश-निर्देशन करेंगे। प्रबन्ध न्यासी को कार्यपद्धति पर नियंत्रण करने का अधिकार एवं वे समय-समय पर निरीक्षण कर सकते हैं।
15. न्यासियों को न्यास पंजीकरण एवं नियमानुसार लागू नियमों एवं उपनियमों के साथ न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति को ध्यान में रखकर कार्य करना एवं उपरोक्त नियमों में परिवर्तन एवं नवीनीकरण करने का अधिकार है जो कि वर्तमान आयकर अधिनियम 1961 द्वारा नियत सामाजिक संस्थाओं हेतु नियत किया गया है।
16. (क) न्यास के ऊपर कोई भी अभियोग एवं कानूनी कार्यवाही न्यास के प्रबन्ध न्यासी अथवा अध्यक्ष के नाम से अभियोगित होगी एवं इनके खण्डन के लिए एवं सफाई देने के लिए प्रबन्ध न्यासी कानूनी सलाह एवं सम्बन्धित न्यायालय में जाने का अधिकार है, कि न्यास को सुचारू रूप से चलाया जा सके।
- (ख) न्यास के किसी प्रकार का अभियोग एवं कानूनी कार्यवाही एवं अन्य

- मामलों का निपटारा गोरखपुर क्षेत्र की सीमा में ही किया जा सकता है, इसके अतिरिक्त अन्य स्थानों पर न्यास जवाबदेह नहीं होगा।
17. यह घोषित किया जाता है कि कोई भी दो न्यासी, कार्यकारिणी द्वारा नियुक्त, किसी भी प्रकार के लिए, नियुक्त किए जायेंगे एवं इन अधिकारियों को न्यास वक्ता एवं सम्बन्धित विभागों से पत्र व्यवहार एवं आवश्यकता पड़ने पर साक्ष्यों एवं न्यास को निरूपित करने का अधिकार होगा जो कि न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति में सहयोगी होगा।
18. न्यास की सभी चल-अचल सम्पत्ति कार्यकारिणी के दो सदस्यों के नियंत्रण में रहेंगी एवं इनकी नियुक्ति प्रबन्ध न्यासी द्वारा की जायेगी।
19. सभी न्यासियों एवं संस्थापक न्यासी, न्यास के कार्य-कलापों को स्वच्छ मानसिकता, पूर्ण समर्पित भाव एवं विधिनुसार, न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए करने पर भी यदि न्यास को किसी भी प्रकार के हानि/धन का अभाव/खर्च होने की परिस्थिति होती है तो वे सब इन आरोपों से मुक्त होंगे। परन्तु यदि न्यासियों ने जानबूझकर बेइमानी से, इस प्रकार न्यास हानि न्यास को पहुँचाई है तो अभियोग सिद्ध होने पर उन पर न्यास के नियमों एवं कानून के अनुसार कार्यवाही की जा सकती है।
- (20) (क) न्यास अपरिवर्तनीय है, इसे वापिस नहीं लिया जा सकता।
 (ख) न्यासियों को न्यास की नियमावली की व्याख्या करने का अधिकार रहेगा साथ ही समय-समय पर इन नियमों को सभी सदस्यों के अनुसार न्यासियों की व्याख्या विधिनुसार सर्वमान्य होगी।
- (21) मैं घोषणा करता हूँ कि न्यास को समाहित एवं समायोजन अन्य न्यास के साथ, जो कि समान उद्देश्यों एवं समान चरित्र वाला है, करने का अधिकार रहेगा जो कि आयकर आयुक्त के अन्तर्गत धारा 80जी एवं वर्तमान आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार होना चाहिए। न्यासियों को न्यास के समायोजन अथवा समाहित होने की स्थिति में इसके उद्देश्यों की पूर्ति की पूर्ण समीक्षा करने का अधिकार रहेगा। न्यास की सभी चल-अचल सम्पत्ति उस संबंधित न्यास को नियम एवं कानून के अनुसार हस्तान्तरित की जायेगी जिसमें न्यास का विलय हुआ है।

Om 24



निम्न गवाहों की उपस्थिति में संस्थापक न्यासी ने न्यास की घोषणा पर हस्ताक्षर किए एवं इस दिनांक पर न्यास संरचना की प्रक्रिया पूर्ण हुई व न्यास का गठन हुआ।

संस्थापक



गवाह:-

गोहन
गवाह: गोहन अ-वर्गगीश पाठेय सा. न. प. बरही
1. गाड न. 2-5-बानगर चौ. बरही तह. तमकुवीराय
पिपला कुशीनगर
आ. न. 4066, 6822, 5458
सा. न. 98283658। मजमूनकर्ता



2. सुशांक कुमार बगौ अ. विडनाथ पहाड़
बगौ न. प. बरही गाड न. 12-माकवीम
नगर चौ. बरही तह. तमकुवीराय
पिपला कुशीनगर
आ. न. 8462, 1865, 1728
सा. न. 993584459।

आवेदन सं: 201900958008261

बही संख्या 4 जिल्द संख्या 16 के पृष्ठ 85 से 116 तक क्रमांक 24 पर
दिनांक 11/09/2019 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर



मनोज कुमार गौतम शर्मा

उप निबंधक : तमकुही राव

कुरीनगर

11/09/2019

